फर्द अहकाम

बालाजी दयालपुरा बिल्डर्स एवं डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक डॉ गोपाल चौधरी
बनाम राजस्थान सरकार

ार्थना पत्र संख्या: 454/2025

देनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4.06.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् हिस्सा शुद्धिकरण पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सांझरिया पटवार हल्का ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1510/553 रकबा 0.8100 है0 भूमि मे से 0.3000 है0 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 844 में पृष्ठ संख्या 134 क्रम संख्या 202403022102209 पर पंजीकृत किया गया जिसकी रसीद संख्या 202401022002351 से क्रय किया है। विक्रय पत्रानुसार म्युटेशन स्वीकृत करते समय सहवन से ग्राम पंचायत ठीकरिया द्वारा खसरा नम्बर 1510/553 का सम्पूर्ण हिस्सा ही क्रेता बालाजी दयालपुरा बिल्डर्स एवं डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक डॉ गोपाल चौधरी के नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत है जबकि केवल खसरा नम्बर 1510/553 का रकबा 0.3000 है0 का ही नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए था। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात, विक्रय पत्र का मनन एवं अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् हिस्सा शुद्धिकरण स्वीकार किया जाता है। उपतहसीलदार बगरू को वाके ग्राम सांझरिया पटवार हल्का ठीकरिया तहसील सांगानेर के खाता संख्या 344 खसरा नम्बर 1510/553 रकबा 0.8100 है0 में हुई त्रुटि को पंजीक्रृत विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2024 के अनुसार खाता संख्या 344 खसरा नम्बर 1510/553 रकबा 0.8100 है0 में से 0.3000 है0 हिस्सा क्रेता बालाजी दयालपुरा बिल्डर्स एवं डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक डॉ गोपाल चौधरी के नाम व शेष हिस्सा 0.05100 है0 विक्रेता रूपसिंह पुत्र सुखसिंह के नाम दर्ज कर हिस्सा दुरूस्त/शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु उपतहसीलदार बगरू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	